S.T.D. 0581
2527263, 2521122
2527282, 2523378

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली – 243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

दिनांक : 05.10.2017

पत्रांक : रु.वि. / सम्ब. / 2017 / 2790–97

सेवा मे,

प्रबन्धक / सचिव
धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल
ग्राम– चिटौली,पो0आ0 फतेहगंज(प0), बरेली।

विषय: धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली को स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा संकायान्तर्गत बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम मे 60 सीट सत्र 2016–2017 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 की धारा–37(2) मे निहित व्यवस्था के क्रम मे प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–12011/24/2015-EP(IM-1) दिनाक 28.11.2016 के अनुपालन मे विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या एंव सम्बद्धता समिति की बैठक दिनाक 29.08.2017 द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक मे संस्था धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,बरेली को स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा संकायान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धो के अधीन बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम मे 60 सीट प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2016–17 हेतु अस्थायी सम्बद्धता की अनुमति कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी है–

1. संस्था निरीक्षण आख्या एंव सी0सी0आई0एम0 के पत्र दिनाक 28.11.2016 मे वर्णित शर्तो को पूर्ण कर लेगा / लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रो से लेगी तथा प्रवेश के सम्बंध मे शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चत किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियो एवं रिक्तियो की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। इस संम्बध मे समय–2 पर निर्गत होने वाले शासनादेशो का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रो की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 / मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के रेग्यूलेशन के निर्धारित पाठ्य दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
5. संस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. शिक्षको का अनुमोदन एंव प्रबन्ध समिति का अनुमोदन वांछित है।

भवदीय,
(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, सी.सी.आई.एम., नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. उप–कुलसचिव शैक्षणिक।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर एवं वैबसाइट।

कुलसचिव